

7

8/2/17

वकील वादी उपरोक्त घटिकादी से 11, 14, 18 के सम्मन तलवान  
 एव वाद प्रतियोग पेश करने तथा प्रतिकादी से 8 के 12 का शांन्त पेश  
 करने हेतु समुप चाहते हैं। वे दिनांक 27-3-15 से अब तक 38  
 से 14 अक्षर ले चुके हैं लेकिन शांन्तिकादी पेश नहीं किचे हैं इसलिये  
 उन्हें आगे अक्षर दिया जाना संभव नहीं है। वादी वकीलने जान  
 बूक कर आदेश दिनांक 27-3-15 की अनदेखी की है अतः आदेश 07  
 निम्न 11 (घ) जहां वादी निम्न 9 के उपबन्धों का अनुपालन करने में  
 असफल रहा है। अतः वादी कार्यवाही अखेट की जाती है निम्न  
 फैसल शुकर होकर नकर से कम हो। निम्न दफ्तर दारिदल है।

उपखण्ड अधिकारी  
 मसूदा (अजमेर)

